प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (एस) क्रमांक 10894/2019

1. रामास्वामी नायडू, पिता– श्री कृष्ण स्वामी नायडू आयु– लगभग 60 वर्ष,
वर्तमान में अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन संभाग, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

––याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य – सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

––उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री शांतम अवस्थी, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से : सुश्री अभ्युन्नति सिंह, पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी
बोर्ड पर आदेश

28.09.2021

1. याचिकाकर्ता द्वारा दायर हस्तगत रिट याचिका में जन्मतिथि में सुधार हेतु उचित राहत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

2. वर्तमान रिट याचिका के निराकरण हेतु प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य यह है कि, याचिकाकर्ता को वर्ष 1982 में उत्तरवादी के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता के रुप में नियुक्त किया गया था। रिट याचिका दायर करने के समय, याचिकाकर्ता अधीक्षण अभियंता के रुप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। याचिकाकर्ता का यह दावा है कि उसे अपनी वास्तविक जन्मतिथि 16/11/1960 के बारे में अनुलग्नक P/3 के आधार पर पता चला, जो कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र 06/08/1992 को जारी किया गया था।

3. अभिलेखों के अवलोकन से तथा स्वयं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि, याचिकाकर्ता के संपूर्ण शैक्षणिक अभिलेखों में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 30/12/1959 दर्ज है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र भी शामिल है। याचिकाकर्ता द्वारा स्कूल अभिलेखों

में जन्मतिथि सुधार करवाने के लिए किसी भी समय कोई प्रयास नहीं किया गया है। विद्यालय प्रमाण पत्रों में अभी भी जन्मतिथि 30/12/1959 दर्शायी गयी है।

4. जन्मतिथि के मुद्दे को अब अंतिम रुप दे दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित न्याय दृष्टांतों की श्रृंखला द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है, जिसके द्वारा बार–बार दोहराया गया है कि समस्त व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए स्कूल अभिलेखों, विशेषकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अथवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र को सबसे प्रमाणित दस्तावेज के रुप में स्वीकार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में भी विद्यालय रिकार्ड में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 30/12/1959 दर्ज है।

5. दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने प्रथम बार अपने नियोक्ता से अपनी जन्मतिथि को सेवा अभिलेखों में आवश्यक सुधार करने का अनुरोध 12/11/2002 को किया था। यह तब हुआ जब याचिकाकर्ता पहले ही लगभग 20 वर्षों से सेवा में कार्यरत था, इसका अर्थ यह है कि 20 वर्षों के दौरान याचिकाकर्ता को अपनी सेवा अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि के संबंध में कोई आपत्ति या शिकायत नहीं थी।

6. एक और तथ्य जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि जिस दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्ता अपनी जन्मतिथि में सुधार चाहता है, वह परिशिष्ट पी/03 है। उक्त प्रमाण पत्र वर्ष 1992 में जारी किया गया था, इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने अपनी शैक्षिक अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि को सही या संशोधन कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। समय बितने के साथ, उसकी शैक्षिक अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि को अंतिम रुप प्राप्त हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता का अपने सेवाकाल के अंतिम चरण में जन्म तिथि में सुधार का दावा अन्यथा स्वीकार्य नहीं होगा और न ही याचिकाकर्ता ने कोई मजबूत मामला बनाया है, जिससे यह साबित हो सके कि सेवा अभिलेखों और शैक्षिक अभिलेखों में दर्ज जन्म तिथि गलत या कानून की दृष्टि से गलत है।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सिविल अपील संख्या 5720/2021, दिनांक 21/09/2021 को कर्नाटक ग्रामीण अवसंरचना विकास लिमिटेड बनाम टी.पी. नटराज एवं अन्य के मामले में निर्णय दिया, जिसमें जन्मतिथि के मुद्दे पर विधि का विस्तृत विश्लेषण करते हुए पैराग्राफ 9.1 से 10 में निम्नलिखित निष्कर्ष स्थापित किया गया है।

9.1 गृह विभाग बनाम आर. किरुबाकरण (सुप्रा) के मामले में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया है:

> "7. जन्मतिथि में सुधार हेतु आवेदन पर न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय को केवल संबंधित लोक सेवक को ध्यान में रखते हुए विचार नहीं करना चाहिए। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित लोक सेवक की जन्मतिथि में सुधार के लिए दिए गए ऐसे किसी भी निर्देश की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उसके नीचे वर्षों से अपनी–अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अन्य अधिकारी प्रभावित होते है। कुछ को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, क्योंकि जन्मतिथि में सुधार के कारण संबंधित अधिकारी, कुछ मामलों में वर्षों तक पद पर बने रहे है, जिसके दौरान वरिष्ठता में उससे

नीचे के कई अधिकारी, अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा करते हुए, हमेशा के लिए पदोन्नति खो सकते हैं...''

9.2 मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रेमलाल श्रीवास (सुप्रा) के मामले में पैरा 8 और 12 में, यह देखा और निम्नलिखित निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया है:

"8. इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि किसी सरकारी कर्मचारी की जन्मतिथि में सुधार से जुड़े मामलों में, विशेष रूप से उसकी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर या उसके करियर के अंतिम चरण चरण में, न्यायालय या न्यायाधिकरण को किसी भी सरकारी सेवा में प्रवेश के समय सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मांतीथे में सुधार के लिए निर्देश जारी करते समय सतर्क, सावधान और सावधान रहना चाहिए। जब तक न्यायालय या न्यायाधिकरण उसकी जन्मतिथि से संबंधित अकाट्य प्रमाण के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता है और ऐसा दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या संबंधित विभाग द्वारा अपनाई गई सुसंगत प्रक्रिया के अनुसार किया गया है, जैसा भी मामला हो, और संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तविक अन्याय हुआ है, न्यायालय या न्यायाधिकरण को सेवा पुस्तिका में सुधार के लिए निर्देश जारी करने से बचना चाहिए। इस न्यायालय ने बार–बार यह विचार व्यक्त किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवा में आने के काफी समय बीत जाने के बाद, विशेषकर अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय के बाद, दर्ज की गई जन्मतिथि में सुधार के लिए अनुरोध करता है, तो वह अधिकार के रूप में अपनी जन्मतिथि में सुधार का दावा नहीं कर सकता, भले ही उसके पास यह साबित करने के लिए अच्छे सबूत हों कि दर्ज की गई जन्मतिथि स्पष्ट रूप से गलत है। कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण उन लोगों की सहायता नहीं कर सकता जो अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह हैं (देखें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हरनाम सिंह [(1993) 2 एससीसी 162: 1993 एससीसी (एलएंडएस) 375: (1993) 24 एटीसी 92])।

12. जैसा भी हो, हमारी राय में, जन्म तिथि में सुधार के लिए आवेदन करने में दो दशकों से अधिक की देरी प्रतिवादी के मामले के लिए स्पष्ट रूप से घातक है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा कोई विशिष्ट नियम या आदेश नहीं बनाया गया था, जो उस अवधि को निर्धारित करता हो जिसके भीतर ऐसा आवेदन दायर किया जा सके। यह सामान्य बात है कि ऐसी स्थिति में भी ऐसा आवेदन दायर किया जाना चाहिए जिसे उचित माना जा सके। प्रतिवादी द्वारा सेवा में आने के 25 वर्ष पश्चात दायर किया गया आवेदन किसी भी मानक से उचित नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जब उक्त विलम्ब को स्पष्ट करने का कोई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कमजोर प्रयास नहीं किया गया। प्रतिवादी की इस दलील में भी कोई दम नहीं है कि चूंकि म.प्र. वित्तीय संहिता के नियम 84 में आवेदन दाखिल करने की समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि दर्ज करने में लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के लिए बाध्य थे।"

9.3 भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम आर. बसवराजू (सुप्रा) के मामले में, यह निम्नलिखित प्रतिपादित किया गया है:

"5. जन्मतिथि में सुधार के संबंध में कानून पर इस न्यायालय द्वारा बार–बार चर्चा की गई है और माना गया है कि एक भार सेवा अभिलेख में जन्मतिथि शैक्षिक प्रमाण पत्रों के अनुसार दर्ज हो जाने के बाद और कर्मचारी द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद, उसे बदला नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, इस न्यायालय ने यह भी माना है कि सेवानिवृत्ति के अंतिम समय में जन्म तिथि में परिवर्तन का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

9.4 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य बनाम श्याम किशोर सिंह (सुप्रा) के मामले में, जिसमें हम में से एक (न्यायमूर्ति ए.एस. बापन्ना) पक्षकार थे, पीठ ने पैराग्राफ 9 एवं 10 में निम्न लिखित प्रतिपादित किया गया हैः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9. इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि सेवा के अंतिम समय में सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि में परिवर्तन का अनुरोध संधारणीय नहीं है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम गोरखनाथ सीताराम कांबले (2010) 14 एससीसी 423 के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें इस न्यायालय के कई पूर्व निर्णयों पर विचार किया गया था और निम्न प्रकार से माना गया थाः

"16. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम राज कुमार अग्निहोत्री (2005) 11 एसर्स सी465: 2006 एससीसी (एलएंडएस) 96] के निर्णय पर भरोसा किया है। इस मामले में, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के कई निर्णयों पर विचार किया है और पाया है कि सेवा रिकॉर्ड में जन्म तिथि के बारे में शिकायत सेवा करियर के अंतिम चरण में नाहीं की जानी चाहिए।

17. उत्तरांचल राज्य बनाम पीताम्बर दत्त सेमवाल [(2005) 11 एससीसी 477: 2006 एससीसी (एलएंडएस) 106] के एक अन्य निर्णय में सरकारी कर्मचारी को इस आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया गया था कि उसने लगभग 30 साल की सेवा के बाद सेवा रिकॉर्ड में सुधार की मांग की थी। उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय लगभग तीन दशकों के बाद निर्णय में हस्तक्षेप नहीं

करना चाहिए।

19. ये निर्णय मामले के एक अलग आयाम की ओर ले जाते हैं कि अंतिम चरण में सुधार बड़ी संख्या में कर्मचारियों की कीमत पर होगा, इसलिए, अंतिम चरण में किसी भी सुधार को अदालत द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए। गृह विभाग बनाम में निर्णय का प्रासंगिक भाग। आर. किरुबाकरन [1994 सप (1) एससीसी 155: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 449: (1994) 26 एटीसी 828] निम्नानुसार है: (एससीसी पृष्ठ 158 59, पैरा 7)

"7. जन्म तिथि में सुधार के लिए एक आवेदन एक लोक सेवक द्वारा उसकी सेवा के अंतिम चरण में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित लोक सेवक की जन्म तिथि में सुधार के लिए इस तरह के किसी भी निर्देश की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उसके नीचे अन्य लोग अपनी संबंधित पदोन्नति के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, क्योंकि जन्म तिथि में सुधार के कारण संबंधित अधिकारी, कुछ मामलों में वर्षों तक पद पर बना रहता है, जिसके दौरान कई अधिकारी जो वरिष्ठता में उसके नीचे हैं, अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपनी सेवा खो सकते हैं। पदोन्नति हमेशा के लिए। ... हमारे अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी लोक सेवक की जन्मतिथि में सुधार के संबंध में शिकायत की जांच करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, जब तक कि प्रतिवादी द्वारा ऐसी सामग्री के आधार पर स्पष्ट मामला नहीं बनाया जाता है, जिसे प्रकृति में निर्णायक माना जा सकता है, न्यायालय या न्यायाधिकरण को ऐसी सामग्री के आधार पर निर्देश जारी नहीं करना चाहिए, जो ऐसे दावे को केवल प्रशंसनीय बनाती है। ऐसा कोई निर्देश जारी करने से पहले न्यायालय या न्यायाधिकरण को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है और जन्मतिथि में सुधार के लिए उस दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और किसी नियम या आदेश द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया गया है। ... आवेदक पर यह साबित करने का दायित्व है कि उसकी सेवा पुस्तिका में उसकी जन्मतिथि गलत दर्ज की गई है।"

"10. इस न्यायालय ने वास्तव में यह भी माना है कि भले ही यह साबित करने के लिए अच्छे सबूत हों कि दर्ज की गई जन्मतिथि गलत है, फिर भी सुधार का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। इस संबंध में, मध्य प्रदेश राज्य में बनाम प्रेमलाल श्रीवास, (सुप्रा) में निम्नानुसार माना गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है:

"8. इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि किसी सरकारी कर्मचारी की जन्मतिथि में सुधार से जुड़े मामलों में, विशेष रूप से उसकी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर या उसके करियर के अंतिम चरण में, न्यायालय या न्यायाधिकरण को किसी भी सरकारी सेवा में प्रवेश के समय सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तेथि में सुधार के लिए निर्देश जारी करते समय सतर्क, सावधान और सावधान रहना चाहिए। जब तक न्यायाल्य या न्यायाधिकरण उसकी जन्मतिथि से संबंधित अकाट्य प्रमाण के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाए और ऐसा दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या संबंधित विभाग द्वारा अपनाई गई सुसंगत प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो, जैसा भी मामला हो, और संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तविक अन्याय हुआ हो, न्यायालय या न्यायाधिकरण को सेवा पुस्तिका में सुधार के लिए निर्देश जारी करने से बचना चाहिए। इस न्यायालय ने बार–बार कहा है कि ने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा में आने के बाहुत समय बीत जाने के बाद, विशेष रूप से अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय के बाद, दर्ज की गई जन्मतिथि में सुधार के लिए अनुरोध करता है, तो वह अधिकार के रूप में अपनी जन्मतिथि में सुधार का दावा नहीं कर सकता, भले ही उसके पास यह साबित करने के लिए अच्छे सबूत हों कि दर्ज की गई जन्मतिथि स्पष्ट रूप से गलत है। कोई भी अदालत या न्यायाधिकरण उन लोगों की सहायता नहीं कर सकता जो अपने अधिकारों की अनदेखी करते हैं" (देखें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हरनाम सिंह [(1993) 2 एससीसी 162: 1993 एससीसी (एलएंडएस) 375: (1993) 24 एटीसी 92])1

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जैसा भी हो, हमारी राय में, जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन करने में दो दशकों से अधिक की देरी प्रतिवादी के मामले के लिए स्पश रूप से घातक है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा कोई विशिष्ट नियम या आदेश नहीं बनाया गया था, जिसके भीतर ऐसा आवेदन दायर किया जा सके। यह सामान्य बात है कि ऐसी स्थिति में भी ऐसा आवेदन दायर किया जाना चाहिए जिसे उचित माना जा सके। सेवा में शामिल होने के 25 साल बाद प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन किसी भी मानक से उचित नहीं माना जा सकता है, खासकर तब जब उक्त देरी को स्पष्ट करने का कोई कमजोर प्रयास नहीं किया गया। प्रतिवादी की दलील में भी कोई सार नहीं है कि चूंकि एम.पी. का नियम 84 वित्तीय संहिता में आवेदन दाखिल करने की समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि दर्ज करने में लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के लिए बाध्य थे।"

10. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर विचार करते हुए जन्म तिथि में परिवर्तन संबंधी कानून को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:

(i) जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए आवेदन केवल लागू प्रासंगिक प्रावधानों / नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है;

(ii) यदि कोई ठोस सबूत है, तो भी इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है;

(iii) आवेदन को देरी और देरी के आधार पर भी खारिज किया जा सकता है, खासकर तब जब यह सेवा के अंतिम चरण में किया जाता है और/या जब कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने वाला होता है।"

9. वर्तमान मामले के तथ्यों पर कानून के उपरोक्त कानूनी प्रस्ताव को लागू करते हुए, यह न्यायालय इस राय पर है कि जन्म तिथि में सुधार के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई मजबूत मामला नहीं बनाया गया है। इसलिए रिट याचिका योग्यता से रहित है और इसे अस्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(पी.सैम.कोशी)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**